सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 588 राँची ,सोमवार 19 कार्तिक 1936 (श०)
10 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

3 नवम्बर, 2014

1. सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग का पत्रांक-440 दिनांक 5 अप्रैल, 2005,
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-1935 दिनांक 1 अप्रैल, 2008, संकल्प संख्या-6201 दिनांक 19 अप्रैल, 2008, संकल्प सं0-1192, दिनांक 5 मार्च, 2011 एवं पत्रांक-6473, दिनांक 25 जून, 2014
3. श्रीमती शीला किस्कू रपाज, भा0प्र0से0, प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, द0छो0प्र0, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-117/स्था0(गो0), दिनांक 24 नवम्बर, 2010

संख्या-5/आरोप-1-778/2014 का.- 10629-- श्री उमेश प्रसाद सिंह, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-360/03, गृह जिला- नालन्दा), अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोपों हेतु प्रपत्र- 'क' में आरोप सचिव, खाद्य आपूति एवं वाणिज्य विभाग के पत्रांक-440 दिनांक 5 अप्रैल, 2005 द्वारा प्राप्त है।

प्रपत्र- 'क' में श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

1. समुचित जाँच कराये बिना ही निलंबित अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करना - श्री चन्द्रिका पाण्डेय, जन वितरण बिक्रेता की निलम्बन अनुज्ञप्ति को बिना समचित जाँच कराये ही निलम्बन से मुक्त कर दिया।

2. उच्चाधिकारी को भ्रामक एवं गलत तथ्य पर आधारित स्पष्टीकरण देना - अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, मनातू के द्वारा निलम्बन से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

जबकि प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, मनातू का दिनांक 18 अगस्त, 2004 के प्रतिवेदन में उनके द्वारा निलम्बन अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। मात्र उचित निर्णय लिया जा सकता है, अंकित किया गया है।

3. अनुचित आचरण को उचित प्रमाणित करने के लिए उच्चाधिकारी के समक्ष नियमों की गलत व्याख्या करना-श्री चन्द्रिका पाण्डेय ने अपने योगदान में लेस मात्र भी आचरण सुधारने की बात नहीं की है। बल्कि श्री पाण्डेय द्वारा कार्ड धारियों के ऊपर ही 5-10 लीटर किरासन तेल माँग करने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि अधिक मात्रा में किरासन तेल देने से नराज उपभोक्ताओं द्वारा गलत आरोप लगाया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित जन वितरण बिक्रेता अपने आचरण में सुधार की बात नहीं कह रहा है।

अतः निलम्बन से मुक्ति का अनुमंडल पदाधिकारी का निर्णय तथ्यों पर आधारित न होकर इनकी स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

4. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति असंवेदनशीलता - जन वितरण बिक्रेता कमजोर वर्गों के लाल एवं पीला कार्ड अपने पास रखकर बिना राशन दिये ही वितरण संबंधी वितरण दर्ज करता रहा है तथा अपने इस कुकृत्य को लिखित रूप में स्वीकार भी किया है। ऐसे जन वितरण के बिक्रेता का निलम्बित अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निलम्बन से मुक्त किया जाना एक अनुमंडल पदाधिकारी जैसे महत्व के पद पर आसीन प्रशासनिक पदाधिकारी के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशून्यता का द्योतक है।

इन आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 1935 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 तथा विभागीय संकल्प संख्या- 6201 दिनांक 19 अप्रैल, 2008 (संशोधित) के द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया जिसके संचालन पदाधिकारी प्रमण्डलीय

आयुक्त, द0छो0प्र0, राँची बनाये गये। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 117/स्था0 (गो0) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 के द्वारा सरकार को उपलब्ध कराया गया, जिसमें जाँच पदाधिकारी ने श्री सिंह के विरूद्ध सभी प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी के लिखित बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखो के आधार पर समीक्षोपरांत श्री सिंह को आरोप प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में दोषी पाया गया। श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-1192, दिनांक 5 मार्च, 2011 द्वारा इन्हें निम्नाकिंत दण्ड दिया गया:-

1. चार वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक,

2. प्रोन्नति देय होने पर चार वर्षों तक इन्हे प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के द्वारा विषयगत वाद संख्या- डब्लू पी0 (एस0) 3067/2011 उमेश प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 21 मार्च, 2014 के आलोक में दण्ड संकल्प (विभागीय संकल्प संख्या-1192, दिनांक 5 मार्च, 2011) को निरस्त किया गया है एवं संचालित विभागीय कार्यवाही को निरस्त नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-6473, दिनांक 25 जून, 2014 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 17 जुलाई, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में बिन्दुवार निम्न तथ्यों का उल्लेख किया हैः-

1. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातू द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 26 कार्डधारियों द्वारा श्री चन्द्रिका पाण्डेय जन वितरण प्रणाली दुकानदार की अनुज्ञप्ति पुनर्बहाल करने हेतु आवेदन दिया गया था। कार्डधारी दुकानदार के कार्य से संतुष्ट थे। श्री पाण्डेय द्वारा भी यह कहा गया था कि वे अब से सही तरीके से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण करेगें। इसके आधार पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातू द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि ''श्री पाण्डेय के अनुज्ञप्ति के संबंध में उचित निर्णय लिया जाय।'' श्री सिंह द्वारा इसके आधार पर श्री पाण्डेय के अनुज्ञप्ति को निलम्बन मुक्त किया गया। यह कहना गलत है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अधूरा एवं असंतोषजनक था।

2. चूँकि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी थी, इसलिए जाँच प्रतिवेदन में उचित निर्णय लेने की

अनुशंसा को सहमति मानते हुए श्री पाण्डेय की निलम्बित अनुज्ञप्ति को बहाल करने का आदेश पारित किया गया।

3. अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में वे अनुज्ञप्ति पदाधिकारी थे एवं उन्हें नब्बे दिनों के अन्दर निर्णय लेना था। निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र थे। श्री पाण्डेय जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा अपने आवेदन में कहा गया था कि वे भविष्य में सही समय एवं मात्रा में लाभुकों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण करेगें, इसलिए उनके द्वारा दुकानदार के अनुज्ञप्ति को निलम्बन मुक्त किया गया। उनके द्वारा नियम की गलत व्याख्या नहीं की गयी थी।

4. 26 कार्डधारियों द्वारा श्री पाण्डेय के अनुज्ञप्ति को निलम्बन मुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वे दुकानदार श्री पाण्डेय के कार्य से संतुष्ट थे। उसके आचरण पर उनके द्वारा अनुज्ञप्ति निलम्बन मुक्त किया गया था। उनके द्वारा कमजोर वर्गों के प्रति कोई असंवेदनशीलता नहीं बरती गयी थी।

श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के न्यायादेश के आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई। श्री सिंह पर स्वेच्छाचारिता, भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने तथा असंवेदनशीलता के आरोप प्रमाणित होते हैं। श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सम्यक् विचारोपरान्त इनकी दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड इनपर अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 588–50 ।